74/22

भारत INDIA

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 308801

TRY. LKO. 18 MAY 2007 स. को. अ./ कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ

124

48,65 PR
3266

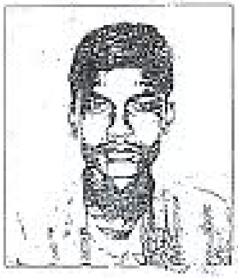

विक्रय मूल्य –रु0 5,16,289/-

मालियत –रु0 1,12,637/-

स्टाम्प –रु0 41,400/-

परगना – मोहनलालगंज

बैनामा

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम – सौनई कजेहरा

——2

अशोक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 308802

4. सम्पत्ति का विवरण– आराजी खसरा संख्या–48, 65, 82 का मि0

5. मापन की इकाई –हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल–0.3266 हेक्टअर

7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)

– सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर।

8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)– x

9. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि भूमि

11. पेड़ों की संख्या – 12 आम व 1 जामुन

पेड़ों की मालियत–रू0 65,000/–

12. बोरिंग/कुआं/अन्य – x

13. निर्माण का वर्ष – x

----3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 612786

14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
15. प्रतिफल की धनराशि 5,16,289/– रुपये

चौहद्दी

चौहद्दी भूमि खसरा संख्या–48

पूरब	:	भूमि खसरा संख्या–46
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या–10, 11 व 12
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या–49
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या–47

चौहद्दी भूमि खसरा संख्या–65

पूरब	:	भूमि खसरा संख्या–64, 66 व 67
पश्चिम	:	सीमा ग्राम मांढरमऊ कलां
उत्तर	:	सीमा ग्राम मांढरमऊ कलां
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या–64

——4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 157250

(4)

चौहद्दी भूमि खसरा संख्या–82

पूरब	:	भूमि खसरा संख्या–89 व रेलवे लाईन
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या–81
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या–90
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या–83

प्रथम पक्ष की संख्या (1)	द्वितीय पक्ष की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
अशोक पुत्र श्री छेदा स्थाई व अस्थाई निवासी ग्राम–सोनई कजेहरा, परगना व तहसील– मोहनलालगंज जिला– लखनऊ। व्यवसाय–कृषि	धून पुत्र बिहारी स्थाई व अस्थाई निवासी ग्राम–मिर्जापुर मिठारी, पोस्ट–नौगाँव, तहसील व जिला–फतेहपुर। व्यवसाय–कृषि

—— 5

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 157251

(5)

मनकि अशोक पुत्र श्री छेदा स्थाई व अस्थाई निवासी ग्राम-सोनई कजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज जिला- लखनऊ (विक्रेता) का हूँ :-

जो कि मैं विक्रेता अपनी भूमिधरी आराजी खसरा संख्या-48, 65 व 82 कुल रकबा 0.98 हेक्टेयर में से 0.3266 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-सोनई कजेहरा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों (खसरा, खतौनी) में विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर

——6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 457252

TRY. LKO. 1 MAY 2007

सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार हम विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि मुझे रूपयों की सख्त आवश्यकता है अतः अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाइशी में से को बकीमती मुबलिग रूपया–5,16,289/– (पाँच लाख सोलह हजार दो सौ नवासी रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया–2,58,144.50 (दो लाख अट्ठावन हजार एक सौ चवालिस रूपया पचास पैसा मात्र) होते हैं, मैं बदस्त क्रेता धून पुत्र श्री बिहारी त्यागी

—7

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

व अस्थाई निवासी ग्राम–मिर्जापुर मिठारी, पोस्ट–नौगॉव, तहसील व जिला– फतेहपुर (क्रेता) के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से मेरा या मेरे किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति

—8

की दावेदारी या उजदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित मुझसे व मेरे वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं। उक्त भूमि कृषि भूमि है जिसमें वर्तमान समय तक कृषि ही हो रही है और कृषि प्रयोजनार्थ ही विक्रय की जा रही है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

विक्रीत भूमि ग्राम–सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ सामान्य ग्राम में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल–0.3266 हेक्टेअर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा बाजारू मूल्य रूपया

2,80,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की बाजारू मालियत मुबलिग रूपया 91,448/- होती है। विक्रीत भूमि में 12 आम के पेड़ व 1 जामुन का पेड़ लगा है, जिनकी मालियत रूपया 5000/- प्रति पेड़ की दर से मुबलिग रूपया 65,000/- होती है। इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल बाजारू मालियत मुबलिग रूपया 1,12,677/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः विक्रय मूल्य पर नियमानुसार 8 प्रतिशत की दर से मु0 41,400/-रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है।

लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहान खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामें का निष्पादन किया।

<u>विवरण भूमि बिक्रीशुदा</u>

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या-48, 65 व 82 रकबा 0.98 हेक्टेयर में से 0.3266 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

----10

तफसील वसलूयाबी जरसमन

कुल विक्रय मूल्य रूपया 5,16,289/- (पाँच लाख सोलह हजार दो सौ नवासी रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से चेक संख्या- 613883 दिनांकित 14.05.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक :14.04.2007

ह० विक्रेता

(अशोक)

विक्रेता की पहचान की गई

1. गवाह :

पता :

क्रेता की पहचान की गई

ह० क्रेता

2. गवाह : पंकज पाठक

पता : S/o - हरिशंकर पाठक लालबाग - लखनऊ

(चून)

टाइपकर्ता

(सुनील श्रीवास्तव)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(धीरेन्द्र श्रीवास्तव)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

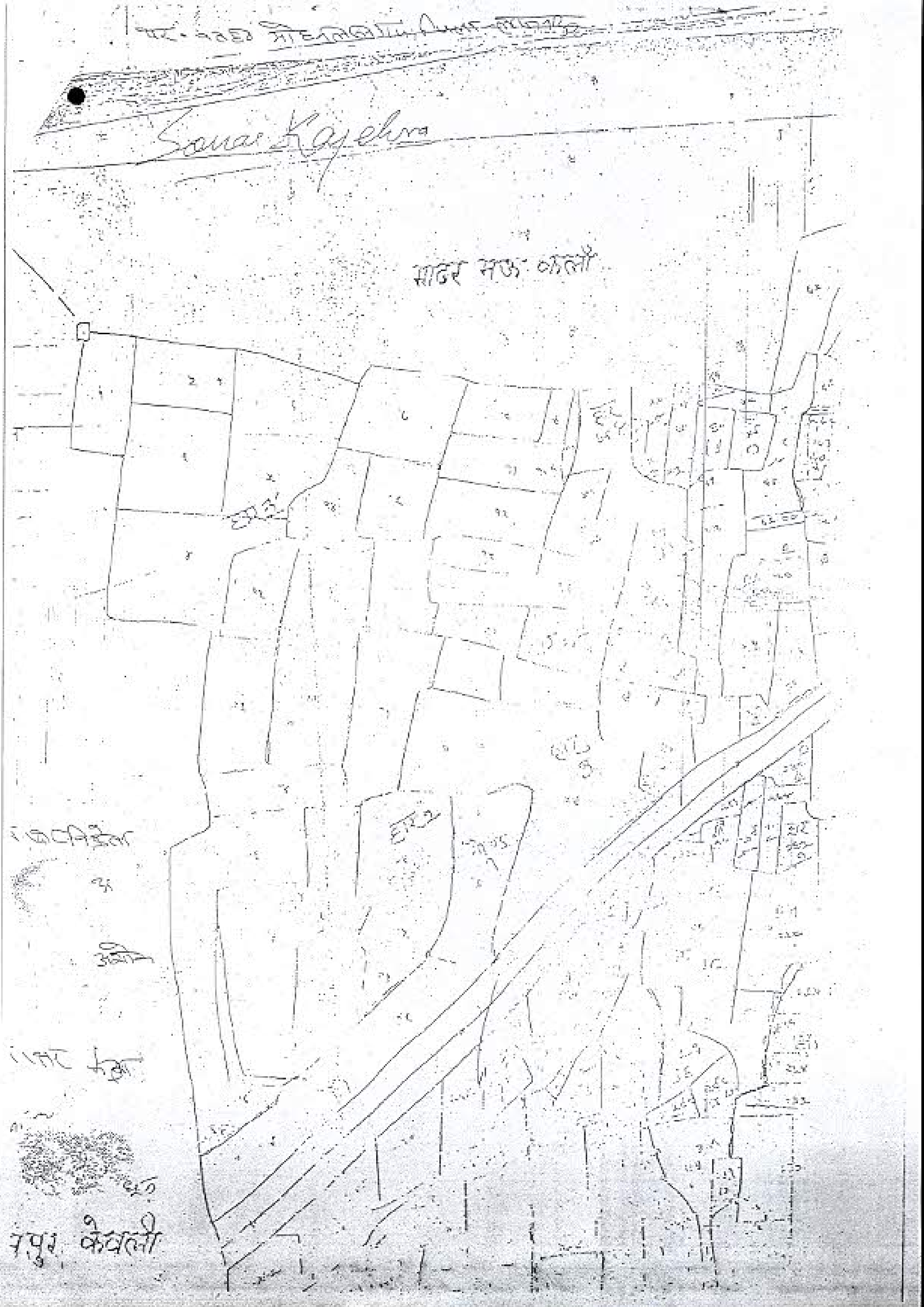
Sanai Kayelna
कैथली

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

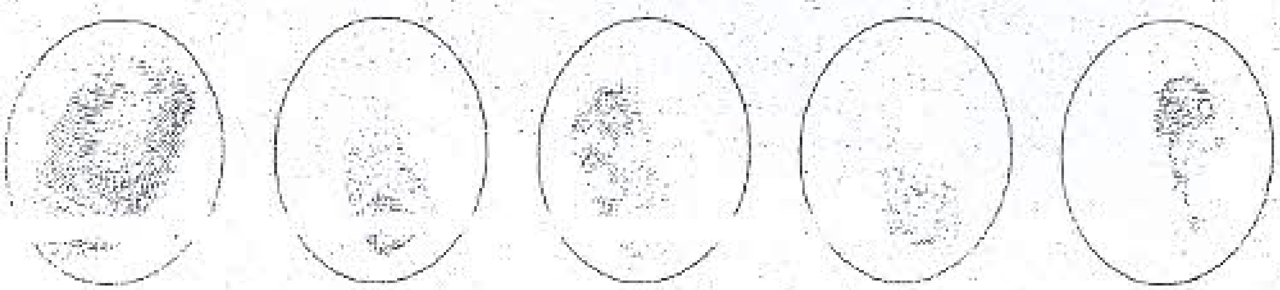

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

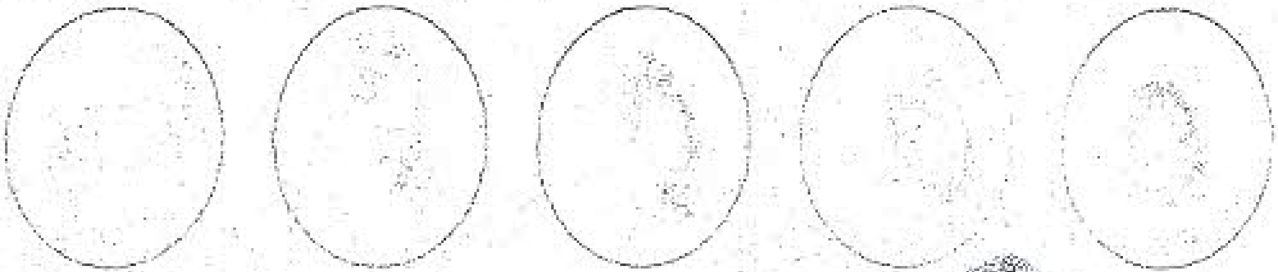

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

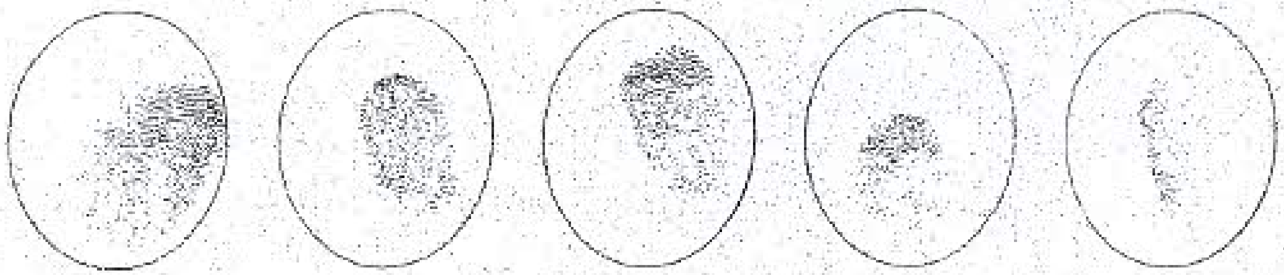

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

তারিখ : ১৫/০৫/১৫

খণ্ড : ১ম [illegible] ৬৩

পৃষ্ঠা : ৩৪৫/৩৬৮ ২০১৫

দলিল নং : [illegible]

[illegible]

[illegible]